

8.6.06 M

व्यक्ति को जमानत देना/
 ...
 8.6.06 M
 ...
 न्यायालय जज (माल्ट ट्रेक)

8.5.07 M

...
 ...
 20.09.07 M
 ...
 न्यायालय जज (माल्ट ट्रेक)

20.09.07 M

पक्षों की पेशादारी वादी पक्षीवादी तथा उनके
 आवेदन को किताबी ही नहीं माना। विपक्ष
 को वापस गवाहों के उपरांत की उपस्थिति
 नहीं होने के कारण वादी का वाद पक्ष अधुना
 अधुना फैसले में खारिज किया जाता है।
 पक्षों की पेशादारी को नकार के रूप
 में।

सहायक क्लर्क
 जहाजपुर (पीलावाड़ा)